

न्यायालय सब जज—तृतीय, डुमराँव, जिला—बक्सर

टी0 एस0 नं0—347 / 2024

दिनेश राय — वादी

बनाम्
लालजी बिन्दु वगैरह — प्रतिवादीगण

28.11.2025

प्रस्तुत इम्तेनाई आवेदन वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक—22.01.2025 आदेश 39 नियम 01 व 02 दफा 151 सी0पी0सी0 के अतर्गत इस आशय से दाखिल किया गया है कि वादी द्वारा अलावे अन्य दादरसी के निबंधित केबालेजात मुंदर्जे जमीमा नंबर 3 अर्जीहाजा को शून्य दस्तावेज घोषित करने हेतु लाया गया है जिसमें न्यायालय से जारी नोटिस तामिला के बावजूद उपस्थित नहीं हुए है। वादी द्वारा अपने मांग के समर्थन में अर्जी में पूर्ण अभिकथन क्लीन हैंड किया है और कागजात भी दाखिल किया है जिससे प्रमाणित होगा कि वादी का मुकदमा प्रथम दृष्टया सही है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है और स्थल पर तकरारी एराजी पर वादी का दखल कब्जा कायम है। प्रतिवादी आपस में फाड वो कपटपूर्ण कार्यवाई करके बिक्रेता पूर्वज द्वारा पूर्व में बिक्री किए गए जमीन का ही पुनः निबंधित कबालेजात वजूद लाया है और इधर मुकदमा के नोटिस के बाद मुकदमा की जानकारी रखकर प्रतिवादी एवं 2 द्वारा तकरारी एराजी के पास दिनांक—12.01.2025 को बहुत सारा ईट गिराकर स्थल पर निर्माण कार्य का कार्यवाई शुरू किए और मना करने पर अमादे मारपीट के हो गए कि उसी क्रम में वादी द्वारा स्थल का फोटोग्राफ लिया गया। प्रतिवादी द्वारा बिना हक अधिकार के वादी के एराजी के अंश रकबा का केबाला लिखवाने वो भी उस पर नया संरचना करने में वादी को अपूरणीय क्षति होगी जबकि उनको ऐसा गैर कानूनी कार्यवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा तकरारी एराजी पर जबरदस्ती बाहुबल के आधार पर गैर कानूनी कार्यवाई करने से रोकना न्यायसंगत है ताकि फरदर लिटिगेशन न होवे अलावे इसके न्यायालय में मुकदमा होने के बाद उसे न्यायालय द्वारा प्रीजर्व करना ता फैसला मुकदमा जरूरी है जिस पर उच्च न्यायालय को मंतव्य भी स्पष्ट है। वादी का मुकदमा प्राईमाफेसी सही है वो सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और प्रतिवादीगण पर तत्काल निषेधाज्ञा जारी कर उसे नया पक्का संरचना करने से रोक नहीं लगाने पर अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 पर तत्काल अंतरिम

निषेधाज्ञा जारी कर उन्हें तकरारी एराजी पर नया संरचना करने से ता फैसला रोक लगाकर यथास्थिति रखने का आदेश दिया जाए।

प्रतिवादी के तरफ से प्रतिउत्तर दाखिल कर विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मुदई के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन कानूनन एवं तथ्यतः चलने के काबिल नहीं है। मुदई जान बूझकर मुकदमा को लिंगर करने के लिए वगैर ठोस सबूत का आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत मुकदमा में मुदालेह द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया जा चुका है जो इस तरदीद का अंश है। मुदई जान बूझकर प्रतिवादी सं०-3 को भी प्रतिवादी क्रेता को तंग को परेशान करने एवं दबाव बनाने हेतु आवेदन दाखिल किया है। जबकि प्रतिवादी सं०-3 के क्रेता से मुदई को कोई सरोकार नहीं है। एक निषेधाज्ञा आवेदन अनुमण्डल दण्डाधिकारी डुमरांव के न्यायालय में भी दाखिल किये हैं। प्रतिवादी सं०-3 के क्रेता प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 का उक्त भूमि में पाला-पलानी को भी माल मवेशी नाद चरन के साथ प्रतिवादी सं० 3 के क्रेतागण अपने केबाला सुदी एराजी का दखलकार है। केबाला सुदा एराजी से मुदई को कोई सरोकार नहीं है। मुदई का आवेदन प्राईमाफेसी सही नहीं है वो सुविधा का संतुलन भी मुदई के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं होने से कोई अपूरणीय क्षति नहीं होने वाली है। अतः निवेदन है कि मुदई के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि दिनांक-05.6.2012 के निबंधित केबाला के द्वारा सिपाही बिंद के द्वारा पूर्व में वादी एवं उसकी भाभी को बिक्रय की जा चुकी थी। पुनः वादी द्वारा दाखिल बिक्रय पत्र दिनांक-05.06.2012 के अवलोकन से विदित होता है कि खाता 95 खेसरा 80 तथा 84 के भूमि सिपाही बिंद की पैतृक भूमि थी जिसे दोनों भाई सिपाही बिंद एवं लालमोहर बिंद के द्वारा आपसी बंटवारे के द्वारा बंटवारा किया जा चुका है। जिसमें कुल 25 डी० की भूमि सिपाही बिंद के हिस्से में पड़ी जिसे उसने वादी को एवं उसकी भाभी को बिक्रय पत्र दिनांक-05.06.2012 के माध्यम से बिक्री कर चुकी है। अतः प्रथम दृष्ट्या से सिपाही बिंद या उसके वारिसानों को खाता नं० 95 खेसरा 80, 84 में किसी भी प्रकार की भूमि का हिस्सा नहीं रह गया था। ऐसी परिस्थिति में यदि सिपाही बिंद के वारिसानों के द्वारा विवादित भूमि का बिक्रय प्रथम दृष्ट्या उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता प्रतीत होता है। पुनः वादी का विवादित भूमि पर पूर्व से बिक्रय पत्र के आधार पर स्वत्व एवं दखल कब्जा प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है और यदि उपरान्त के क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर

किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वादी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना रहती है। अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकृत करते हुए प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि मुकदमे के दौरान विवादित भूमि पर यथास्थिति कायम रखने के साथ वाद के निष्पादन तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे।

अगली तिथि..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज—तृतीय